संख्याः 928/111(2)/14-75(सा.)/2000टी.सी.

प्रेषक,

डॉ. एस.एस. सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 10 फरवरी, 2014

विषयः E- Procurement व्यवस्था के अन्तर्गत 'Standard Bidding Document' लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ₹ 1.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के सन्दर्भ में अपनायी जा रही ई-प्रक्योरमेंट पद्धति के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया में एकरूपता लाने हेतु 'Standard Bidding Document' लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्तानुसार 'Standard Bidding Document' की एक प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर भेजी जा रही है कि कृपया इसे अपने नियंत्रणाधीन समस्त खण्डों/अधिकारियों को वितरित करते हुए उन्हें भविष्य में ई-प्रक्योरमेंट के तहत निविदा की समस्त प्रक्रियायें तदनुसार सम्पादित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही, 'Standard Bidding Document' की प्रति एन.आई.सी./विभागीय वैबसाइट पर भी यथास्थान अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त.

भवदीय,

(डॉ. एस.एस. सन्धु)
प्रमुख सचिव।

संख्याः /111(2)/14-75(सा.)/2000टी.सी.तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव एवं ग्राम्य विकास आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन.आई.सी./मीडिया प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।